

प्रेस नोट बिजनौर पुलिस दिनांक-01.11.2020

यातायात माह नवम्बर-2020 का शुभारम्भ नुमाईश ग्राउण्ड, बिजनौर पर जिलाधिकारी श्री रमाकान्त पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ श्री धर्मवीर सिंह द्वारा किया गया तथा यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गयी। इसके बाद आमजन को जागरूक करने हेतु एनसीसी कैडेट के साथ बिजनौर शहर में यातायात जागरूकता रैली निकाली गयी।





आज दिनांक 01-11-2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ सप्ताहिक गोष्ठी की गई। गोष्ठी में आगामी त्योहार, मिशन शक्ति, यातायात माह व कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।



थाना नजीबाबाद पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अभियान के दौरान थाना किरतपुर का वांछित 15000/- का ईनामी अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ भोलू अवैध शस्त्र के गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.20 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशन मे व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना नजीबाबाद पुलिस व स्वाट टीम द्वारा थाना किरतपुर के मु0अ0सं0 179/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का **वांछित 15000/- का ईनामी अपराधी** मय एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिदां कारतूस के मुखबिर की सूचना पर आर्यन कान्वेंट ऐकाडमी कोतवाली रोड नजीबाबाद के पास से अभि0 को गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 562/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

देवेन्द्र उर्फ भोलू पुत्र होरी सिंह नि0 बाखरपुर थाना को0शहर बिजनौर



अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास अभि0 देवेन्द्र उर्फ भोलू

1. मु0अ0सं0 12/20 धारा 392/411/120बी भादवि थाना किरतपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 179/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किरतपुर जिला बिजनौर
3. मु0अ0सं0 562/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना पुलिस 1.निरीक्षक क्राईम श्री सुनील कुमार यादव, 2.उ0नि0 विजय कुमार, 3.उ0नि0 आशीष कुमार, 4.का0 2142 प्रवीण कुमार, 5.का0 177 प्रवीण शर्मा, 6. का0 2159 आकाश

SOG टीम 1. उ0नि0 मनोज परमार, 2. उ0नि0 संजय कुमार, 3. का0 1002 खालिद, 4. का0 1225 अरुण, 5.का0 1579 रईस अहमद, 6.का0 941 बेताब जावला, 7.का0 1326 मोहित शर्मा

थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी जयदीप उर्फ मनी गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध में संलिप्त जिला बदर किये गये अपराधियों के जनपद की सीमा में पाये जाने पर चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त जयदीप उर्फ मनी पुत्र बाबू निवासी ग्राम नैनू नांगल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर जो दिनांक 31-10-2020 को जनपद बिजनौर की सीमा से जनपद अमरोहा की सीमा में छोडा गया था जिसको आज दिनांक 01-11-2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इसके विरुद्ध थाना शिवाला कलां पर मु0अ0स0 192/2020 घारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभियुक्त जयदीप उर्फ मनी पुत्र बाबू निवासी ग्राम नैनू नांगल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर



अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

- 1—मु0अ0स0 123 / 18 धारा 354घ, 504,506 भादवि व 66ई आईटी एक्ट थाना शिवाला कलां
- 2—पेटीकेस सं0 10 / 2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना शिवाला कलां
- 3—मु0अ0स0 192 / 2020 धारा 3 / 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना शिवाला कलां

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

- 1—उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना शिवाला कलां
- 2—का0 1863 हरेन्द्र कुमार थाना शिवाला कलां
- 3—होमगार्ड 1383 भूरे सिंह

थाना स्योहारा- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त निपेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम राम खेड़ा थाना शहर जिला बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना मंडावली:- थाना मंडावली पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/20 धारा 498ए, 324, 504, 506 IPC व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 के वांछित अभियुक्त सुलेमान पुत्र अकबर निवासी ग्राम सिकरोड़ा थाना मंडावली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त मनजीत पुत्र राजू निवासी ग्राम बसंतगढ़ कस्बा स्योहारा थाना स्योहारा जिला बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।





मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान

शाहदीय नवरात्र, 2020 - वासन्तिक नवरात्र, 2021

जनपदीय एंटी रोमियो प्रभारी श्रीमती नीलम सिंह द्वारा नगर क्षेत्र में जाकर बालिकाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाया ।



थाना स्योहारा की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र के ग्राम सफियाबाद में महिलाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारे जागरुक किया । साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया ।

